

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,
अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

ई-मेल - ecf.ica.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

क्रमांक: एफ. 14()2021/एफसीए/प्रमुवसं./ 2057

दिनांक 26/7/24

विशिष्ट शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:-DIVERSION OF 4.62 HA. OF FOREST LAND FOR
CONSTRUCTION OF UPGRADATION RURAL ROAD FROM
TH-SUHAGPUR TO ACHALAWDA UPTO BLOCK BORDER
ROAD KM 0/0 TO 8/000 (Proposal no. FP/RJ/ROAD/127971/2021)

संदर्भ:-आपका पत्र दिनांक 23.05.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयानुगत आलोच्य प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा चाही गयी सूचना क्रम में मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर ने अपने पत्रांक 4249 दिनांक 10.07.2024 से प्रेषित की गयी है। प्राप्त सूचना के आधार पर प्रतिउत्तर निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आक्षेप	प्रतिउत्तर
1.	उक्त प्रस्ताव 2021 से विचाराधीन चल रहा है, किन्तु आदिनांक तक FRA की पूर्ति नहीं की गयी है, स्पष्ट करावें।	युजर एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के पार्ट - 1 की अतिरिक्त सूचनाओं में एफ.आर.ए. का वाछित प्रमाण पत्र मय संलग्नक अपलोड कर दिया गया है।
2.	उक्त प्रस्ताव की KML file को देखने पर ज्ञात होता है कि वन भूमि का जो क्षेत्रफल दर्शाया गया है, वहाँ कहीं खेती की जा रही है, संबंधित उप वन संरक्षक से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करवायें।	उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि वनखण्ड लालगढ़ के अन्तर्गत आती है उक्त क्षेत्र वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत आदिवासियों को खेती के कार्य हेतु अधिनियम कि मूल भावना के अनुसार प्रस्ताव में चाही गई वन भूमि के क्षेत्र के आसपास साथ वनाधिकार हक पत्र जारी किये गये।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में वाछित स्वीकृति जारी करवाने का कष्ट करावें।

संलग्न:-उक्तानुसार

भवदीया,

Shiva

(शिखा मेहरा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक

क्रमांक: एफ. 14()2021/एफसीए/प्रमुवसं./

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
2. उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़।
3. अधिशासी अभियंता सा नि विभाग खण्ड-11 प्रतापगढ़ मु. अरनोद।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

पता :- वन भवन चैताफ सर्कल गोहता पार्क के सामने, उदयपुर-313001

E-Mail ID :- ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in Phone No - 0294-2424748, 2418137

क्रमांक:-एफ.5()मुवस/एफसीए/2024-25/ 4249 दिनांक :- 10.7.2024

निमित्त

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी एफसीए
राजस्थान, जयपुर।

विषय:-Diverslon of 4.62 ha forest land for CONSTRUCTION OF UPGRADATION RURAL ROAD FROM T11- SUHAGPUR TO ACHALAWADA UPTO BLOCK BORDER ROAD KM 0/0 TO 8/000, District- Pratapgarh (Rjathan).

संदर्भ:-विशेष आदेश सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर का पत्र दिनांक 23.05.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि विशेष आदेश सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा आलौच्य प्रकरण में लगाये गए आक्षेपों की विन्दुवार पूर्ति वनमण्डल, प्रतापगढ़ द्वारा उनके पत्रांक /एफ()/तक. /उवस/2023-24/6808 दिनांक 28.06.2024 से करवाए जाकर इस कार्यालय की सहमति के साथ निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

क्र.सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	उक्त प्रस्ताव 2021 से विचाराधीन चल रहा है, किन्तु आज दिनांक तक एफ.आर.ए. की पूर्ति नहीं की गई है, स्पष्ट करावें।	युजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के पार्ट -1 में एफ.आर.ए. का वांछित प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
2	उक्त प्रस्ताव कि के एम.एल. फाईल को देखने पर ज्ञात होता है कि वन भूमि का जो क्षेत्रफल देाया गया है वहा कही कही खेती कि जारी है। संबंधित उप वन संरक्षक से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करावें।	प्रस्ताव में चाही गई वन भूमि वनखण्ड लालगढ़ के अन्तर्गत आती है उक्त क्षेत्र वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत आदिवासियों को खेती के कार्य हेतु अधिनियम कि मूल भावना के अनुसार प्रस्ताव में चाही गई वन भूमि के क्षेत्र के आसपास साथ वनाधिकार हक पत्र जारी किये गये।

भवदीय

(सुनिल चिद्री)

मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर

क्रमांक:-एफ.5()मुवस/एफसीए/2024-25/

दिनांक :-

प्रतिलिपि:- उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर

RajKaj Ref
8748232



Signature valid

Digitally signed by Sunil Chidri
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.07.08 15:25:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

Tele-01478-294141 E-Mail ID dcfptg123@gmail.com / dcf.pratpgh.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक / एफ 0 / तक. / उवसं / 2023-24 / 6808
निमित्त

दिनांक 28/06/2024

मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय:- DIVERSION OF 4.62 HA. OF FOREST LAND IN FAVOUR OF Public Works Departement, Rajstahp FOR CONSTRUCTION OF UPGRADATION RURAL ROAD FROM T11-SUHAGPUR TO ACHALA WDA UPTO BLOCK BORDER ROAD KM 0/0 TO 8/000 IN DIST -PRATAPGARH (RAJ) .proposal number - FP/RJ/ROAD/127971/2021 ।

प्रसंग:- विशिष्ट शासन सचिव वन विभाग राजस्थान सरकारका का पत्रांक प.1(40)वन/2024/दिनांक 23.05.2024 के क्रम में,

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि प्रस्ताव में लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आक्षेप	प्रति उत्तर
1	उक्त प्रस्ताव 2021 से विचाराधिन चल रहा है किन्तु आज दिनांक तक एफ, आर, ए, कि पूर्ति नहीं की गई है, स्पष्ट करावे।	युजर एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के पार्ट-I में एफ, आर, ए, का वाञ्छित प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
2	उक्त प्रस्ताव कि के. एम.एल. फाईल को देखने पर ज्ञात होता है कि वन भूमि का जो क्षेत्रफल दर्शाया गया है वहा कही कही खेती कि जारी है, संबंधित उप वन संरक्षक से इस संबंध में स्थिती स्पष्ट करावे।	प्रस्ताव में चाही गई वन भुमी वनखण्ड लालगढ के अन्तर्गत आती है उक्त क्षेत्र में वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत आदिवासीयो को खेती के कार्य हेतु अधिनियम कि मुल भावना के अनुसार प्रस्ताव में चाही गई वन भुमी के क्षेत्र के आसपास सात वनाधिकार हक पत्र जारी किये गये।

भवदीय,

(हरि किशन सारस्वत भावसे)
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़

क्रमांक / एफ 0 / तक. / उवसं / 2023-24 / 6809-11

दिनांक 28/06/2024

प्रतिनिधि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

01. अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन-सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राज. जयपुर।
02. अधिशाही अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-II प्रतापगढ़ मु. अरनोद को दी जाकर लेख है कि सक्षम अनुमति मिलने से पूर्व वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य न करे।
03. क्षेत्रीय वन अधिकारी, प्रतापगढ़ को दी जाकर लेख है कि सक्षम अनुमति मिलने से पूर्व वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य न होने पाये।

उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़

Takniki New 1

RajKaj Ref
8461294



Signature valid

Digitally signed by Hari Kishan Saraswat
Designation : Deputy Conservator Of
Forest Page 928
Date: 2024.06.28 15:58:03 IST
Reason: Approved